मानचित्र की वैधता, निर्गत तिथि दिनांक: 21-03-2007 से अधिक पाँच वर्ष अर्थात् दिनांक: 20-03-2012 तक बढ़ाई जाती है।

(सहायक अभियन्ता) (अधिशासी अभियन्ता)

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 21.12.2009 के क्रम में मानचित्र की वैधता, निर्गत के दिनांक 21.3.2007 से दिनांक 20.03.2012 तक मान्य होगी।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 के अधीन इस प्रमाणपत्र सहित उपलब्ध कराई स्वीकृत विकास जाता है कि विकास प्राधिकरण मुनि विधिवत स्थापित के लिए विधिवत मान्य नहीं है

अवर अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

विकास प्राधिकरण
मानचित्र स्वीकृत
पत्रांक सं० 22905
दिनांक 28.10.2010
स्वीकृत की वैधता दि. 27.10.2010
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र लखनऊ

सीट नं० 1/59

प्रतिलिप सीट नं० 1/59 के प्रलेख मात्र पर अंकित हैं, जो पक्ष में मान्य होंगे।

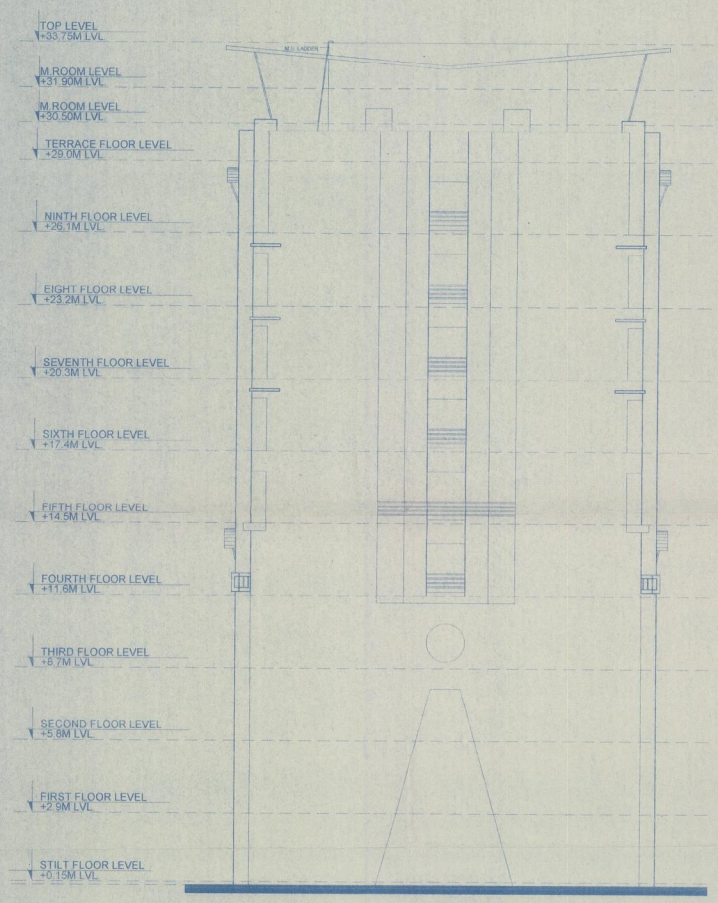

A-TYPE
SIDE ELEVATION

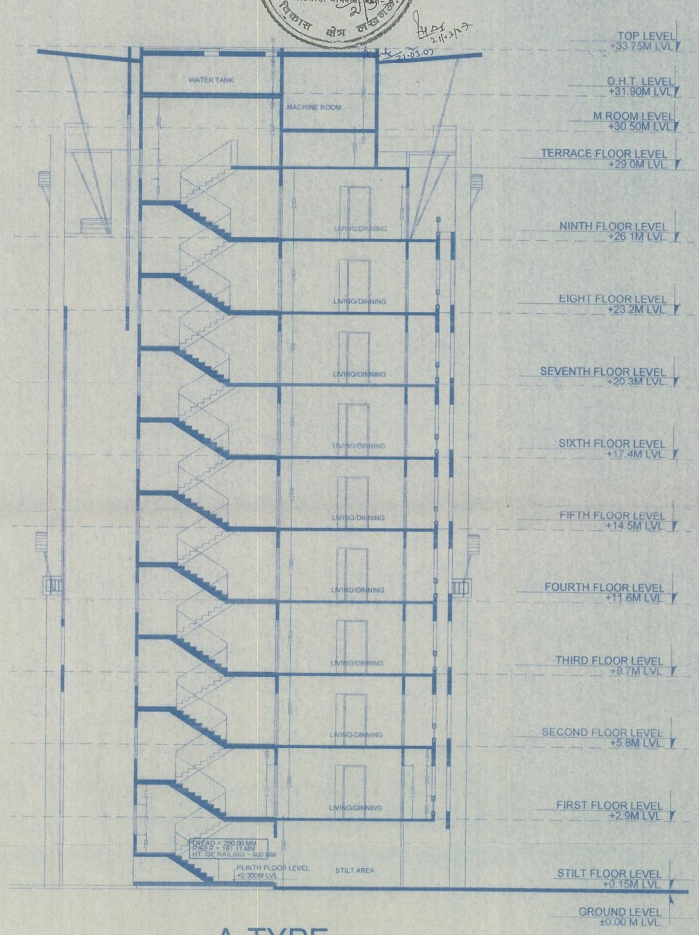

A-TYPE
SECTION B-B

SAHARA CITY HOMES

LUCKNOW

AUTHORITY:

ARCHITECT:

OWNER:

DWG. NO.	SAH/LKW/APPR/ELE-SEC/A-02

DESCRIPTION

TYPE- A
SIDE ELEVATION AND SECTION-BB

SCALE	1:100	DATE	20.09.2005

NAME AND ADDRESS OF ARCHITECT

Architect Hafeez Contractor CA/77/4043

29 Bank Street, Mumbai 400 023. Tel:2266 1920